

Report of Legal Literacy Cell (2021-22)



**Mehr Chand Mahajan
DAV College for Women
Sector-36 (Chandigarh)**

www.mcmdavcw-chd.edu
0172- 2603355, 0172- 2624921

The Legal Literacy Cell of Mehr Chand Mahajan DAV College for Women, Chandigarh continued with its meaningful journey of generating legal awareness among its students specifically and through them, in the society generally so that our products are empowered and fully aware of their rightful place and their responsibilities. The Installation Ceremony for this session was held on 25.3.22. Mitali of BA III was elected President, Prabhjot of BA III Vice President, Varnika of BCom II Secretary, Kashish Seth of BA I Joint Secretary and Akanksha of BA I as Executive member.





All the office-bearers then worked with due diligence to assist the Faculty members in organizing an event by the Cell.

Name of the event- An Awareness Session on Sexual Harassment and Law

- **Committee/Department-** Legal Literacy Cell
- **Objectives/Significance-** To make young women conscious of the tools that the Indian law provides them in order to protect themselves or fight against sexual harassment.
- **Date-** May 30, 2022 (Monday)
- **Duration-** 1 hr 30 mins. (11:00 am- 12:30 pm)
- **Venue-** Multimedia Hall
- **Resource person-** Dr. Upneet Lalli Head Training and Research Institute of Correctional Administration
- **Number of participants/attendees-** 94
- **Details of activity-**
A lecture on sexual harassment and law given by Dr. Upneet Lalli was organized by the Legal Literacy Club of MCM DAV College for Women which aimed at equipping the students of the college with information on constitutional provisions

on sexual harassment along with tools that could help them in avoiding or fighting such unpleasant situations. After a brilliant lecture delivered by Dr. Upneet, the event naturally moved into a discussion where students and faculty members from various departments participated and opened up about their experiences. It turned out to be a highly informative and fruitful event and was a success under the guidance of the Convener and Principal, Dr. Nisha Bhargava.

Dr. Upneet Lalli apprising the students about legal aspects of Sexual Harassment



एमसीएम ने यौन उत्पीड़न और कानून पर जागरूकता सत्र आयोजित किया

फास्ट मीडिया

अमृतस्य/ चंडीगढ़। मेहर चंद महाजन डीएवी कॉलेज फॉर विमेन, चंडीगढ़ के लीगल लिटरेसी सेल ने यौन उत्पीड़न और कानून पर एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य युवा महिलाओं को भारतीय कानून में उन प्रावधानों के बारे में शिक्षित करना है जो उन्हें यौन उत्पीड़न से बचाते हैं। सुधार प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की प्रमुख डॉ. उपनीत लल्ली-इस ज्ञानवर्धक सत्र में बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुईं। डॉ. लल्ली ने भारतीय संविधान, आईपीसी 1860 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 में प्रावधानों सहित यौन उत्पीड़न पर भारतीय कानून पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के उद्देश्य पर चर्चा की (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, और कानून के अनुसार पीड़ित महिला, कर्मचारी, नियोक्ता, कार्यस्थल और यौन उत्पीड़न की परिभाषाओं पर भी प्रकाश डाला।



शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में छात्राओं को जागरूक करते हुए, डॉ. लल्ली ने प्रतिभागियों को यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया क्योंकि चुप्पी ऐसे अपराधों को जारी रखने का सबसे बड़ा कारण है। इस जानकारीपूर्ण कार्यक्रम का समापन एक इंटरैक्टिव सत्र के साथ हुआ,

जिसमें विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर दिया गया। सत्र में 94 से अधिक छात्राओं की उत्साही भागीदारी देखी गई। प्राचार्या डॉ. निशा भार्गव ने हमारे देश में विभिन्न कानूनी प्रावधानों के ज्ञान के साथ छात्राओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करने के लिए कॉलेज के लीगल लिटरेसी सेल की सराहना

की। इस सत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. भार्गव ने जोर देकर कहा कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए, महिलाओं को उन व्यवहारों के बारे में जागरूक करना अनिवार्य है जो महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हैं और ऐसे कृत्यों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा का सहारा लेते हैं।

